FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

मदनलाल पुत्र श्री लहरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बीझंपुर तह0 मॉढण

बनाम

सुबेसिंह पुत्र श्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी रामचन्द्रपुरा तह0 मॉढण

मु0न0 292 /2024

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	21.08.2024 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0 न0 हाल 331, 332 वाके बीझंपुर तह0 मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थी रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थी यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दिनांक 07.10.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)	

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकदमा ....

.... बनाम ....

.... नं .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-10-24	आज यह पत्रावली पेश की गई फरीकेन के द[illegible] उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। उनके आने पर पत्रावली दिनांक 06-2-25 को पेश की जावें।	
06-2-25	आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकारान्- उप० पत्रावली दि० 27-2-25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, नीमराना	
27-2-25	आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनाँक 10-7-25 को पेश हो। रीडर	
12.5.25	आज यह पत्रावली [illegible] के साथ पेश हुई। पत्रावली में [illegible] नोट प्रेस में शामिल हो चुका है। प्रार्थी ने आवेदन [illegible] नोट प्रेस किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भी नोट प्रेस में शामिल किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा [illegible] के साथ [illegible] संलग्न [illegible] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	